

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092021-229574 CG-DL-E-13092021-229574

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] No. 390] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

फा. सं. क्यूए-11022/1/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.— खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.4 के उप-नियम 1 (ii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खंड-4 में प्रकाशित खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना संख्या 10/क्यूए/एफए परीक्षा/ एफएसएसएआई/2016 दिनांक 28 अगस्त, 2019 को अधिक्रांत करते हुए, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया है, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत खाद्य विश्लेषक के पद के लिए उपयुक्त तथा अहर्ता प्राप्त आवेदकों पर विचार करने हेत निम्नलिखित सदस्यों को लेकर एक बोर्ड का गठन एतद्दारा करता है, अर्थात:-

- (I) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण -अध्यक्ष
- (II) कार्यकारी निदेशक (एचआर), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण -सदस्य
- (III) सलाहकार (विज्ञान और मानक), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सदस्य
- (IV) सलाहकार (गुणवत्ता आश्वासन), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सदस्य सचिव
- (V) मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण– सदस्य
- (VI) निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाज़ियाबाद- सदस्य

5052 GI/2021 (1)

- (VII) डीन, स्नातकोत्तर अध्ययन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली– सदस्य
- (VIII) मुख्य वैज्ञानिक और प्रधान, एफएसएक्यूसीएल (निदेशक आरएफएल) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर सदस्य
- (IX) सहयोगी डीन एवं प्रधानाचार्य, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभाणी,महाराष्ट्र- सदस्य।
- 2. यह बोर्ड इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ अथवा अधिकारी को, जैसा उचित समझें, सहयोजित कर सकता है।
- 3. यह बोर्ड अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा तथा कार्य संव्यवहार इसके द्वारा होंगे।
- 4. किसी अड़चन / विवाद की स्थिति में, बोर्ड के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- 5. केवल रिक्त पदों के विद्यमान होने या बोर्ड के गठन में किसी भी दोष के आधार पर बोर्ड की किसी कार्रवाई या कार्यवाही पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./255/2021-22]

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

- **F. No. QA-11022/1/2021-QA-FSSAI.**—In exercise of the powers conferred under the sub-rule 1(ii) of rule 2.1.4 of the Food Safety and Standards Rule, 2011, and in supersession of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) notification number F.No.10/QA/FA Exam/FSSAI 2016 dated 28th August, 2019, Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Food Safety and Standards Authority of India hereby appoints a board comprising of the following members for the purpose of considering the candidates suitable and qualified to hold the post of Food Analyst under the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and the rules made thereunder, namely:
 - i. Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India Chairman
 - ii. Executive Director (HR), Food Safety and Standards Authority of India Member
 - iii. Advisor (Science & Standards), Food Safety and Standards Authority of India Member
 - iv. Advisor (Quality Assurance), Food Safety and Standards Authority of India Member Secretary
 - v. Chief Technology Officer, Food Safety and Standards Authority of India Member
 - vi. Director, National Food Laboratory, Ghaziabad- Member
 - vii. Dean, Post Graduate Studies, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Kundli Member
- viii. Chief Scientist and Head, FSAQCL (Director RFL) Central Food Technological Research Institute, Mysuru- Member
- ix. Associate Dean and Principal, College of Food Technology, Vasantrao Naik Marathwada Agricultural University, Parbhani, Maharashtra-Member.
- 2. The Board may co-opt experts or officers for such purpose as it deems fit.
- 3. This board shall regulate its own procedure and the conduct of business to be transacted by it.
- 4. In case of any difficulty/dispute, the decision of the chairman of the board shall be final.
- 5. No act of proceeding of the board shall be called in questions on the ground merely of existence of any vacancy in as or any defect in the constitution of the Board.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./255/2021-22]